तथा उद्योग के बीच परस्पर क्रिया प्रशिक्षण सुविधाओं तथा आवश्यकताओं के बीच विद्यमान प्रौद्योगिकी अन्तरालों के विस्तार के लिए उद्योग सरकार सहयोग, अनुसंधान व विकास प्रौद्योगिकियों व प्रौद्योगिकी आयात की प्रसिद्धि आदि शामिल है । इसके अतिरिक्त सरकार उद्योग में इन हाउस अनुसंधान व विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन, देश की प्रमुख अनुसंधान व विकास इकाइयों के प्रधानों के साथ चर्चाएं व चुनिंदा उद्योगों पर उनकी प्रौद्योगिक स्थिति पर चर्चा सहित कार्यशालाओं जैसे विभिन्न माध्यमों से उद्योगों के साथ परस्पर क्रिया करती थी । नए प्रस्तावों तथा उद्योगों में अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने वाले उपायों का निर्धारण करते समय इन सभी माध्यमों से प्राप्त निवेशों को ध्यान में रखा जाता है ।

समयोपरि भत्ते और रात्रि ड्यूटी भत्ता को शासित करने वाले नियम

†3222-ग. **श्री राजूभाई ए० परमार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते और रात्रि ड्यूटी भत्ते को शासित करने वाले नियम क्या हैं ;

(ख) क्या रात्रि ड्यूटी भत्ता समयोपरि भत्ता योजना का ही एक हिस्सा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) समयोपरि भत्ता कार्य के सामान्य घंटों के बाद किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए, जबकि सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण प्रतिपूरक छुट्टी न दी जा सकती हो, नकद प्रतिपूर्ति के रूप में होता है ।

रात्रि ड्यूटी अथवा उसके बदले में नकद प्रतिपूर्ति (रात्रि ड्यूटी भत्ता) के लिए तभी मंजूरी दी जाती है जब रात्रि की सामान्य ड्यूटी से संबंधित कार्य को बिना किसी निष्क्रियता अथवा आराम के पर्याप्त अन्तराल के बिना ही लगातार काम करने की आवश्यकता हो । रात्रि ड्यूटी भत्ता उस स्थिति में अनुज्ञेय नहीं होता जहां रात्रि ड्यूटी होने को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक कार्य के घंटे कम रखे गए हैं ।

इस प्रकार, समयोपरि भत्ता तथा रात्रि ड्यूटी भत्ता अलग-अलग प्रयोजनों के लिए हैं । समयोपरि भत्ते तथा रात्रि ड्यूटी भत्ते की मंजूरी से संबंधित उपबन्ध कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित होते हैं ।

रेल और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए एक वैकल्पिक भाषा के रूप में हिन्दी

††3222-घ. **श्री शरद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जो क्रमशः रेलवे अप्रेन्टिसिस आल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस और इंडियन फोरेस्ट सर्विस परीक्षा आयोजित करते हैं हिन्दी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऊपर लिखित परीक्षाओं के लिए हिन्दी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार न करने और न अपनाए जाने के क्या कारण हैं ; और

†पूर्वतः अतारांकित प्रश्न संख्या – 3623-ग, 30 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित ।

††पूर्वतः अतारांकित प्रश्न संख्या 3579, 30 मार्च, 1989 से स्थानान्तरित ।

(ग) इस संबंध में जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसिस परीक्षा, इंजीनियरी सेवा परीक्षा तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं। वर्तमान में इन परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी है

संसद द्वारा 1968 में पारित राजभाषा संकल्प में यह अपेक्षा की गई है कि परीक्षा की भावी योजना क्रियाविधिक पहलुओं तथा समय के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के बाद ही संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को, अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाए जाने की अनुमति दी जाएगी। 1979 में शुरू की गई सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना में, उम्मीदवार को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में देने का विकल्प किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्याधिक गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए कई भाषाओं में प्रश्न पत्र तैयार करने, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने तथा साक्षात्कार आयोजित कर के काम की अत्याधिकता तथा जटिलता के कारण बहुभाषी माध्यम की सुविधा देना सम्भव नहीं हो सका है।

—

12 NOON

STATEMENTS MADE BY MINISTERS CORRECTING ANSWERS TO QUESTIONS

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal) : Sir, we have not received the copy of the Thakkar Commission report. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : That can be raised after the Statements by Ministers and laying of papers on the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 24th March, 1988 to Unstarred Question 3110 regarding sanctioned strength of IAS/IPS Officers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 13th March, 1989 to Unstarred Question 1983 regarding complaints against the General Manager, Telecommunication Stores, Calcutta.

—

PAPERS LAID ON THE TABLE

[**The Deputy Chairman** in the Chair[]

Notification of the Ministry of Defence

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): Madam I beg to lay on the Table, under sedtion 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Defence Notification S.R.O. No. 9(E), dated the 1st March, 1989, declaring every service in the Madras Port to be a service of vital importance to the community. [Placed in Library. *See* No. LT 7574/89.]